

05/01/18 पत्रावली आज वकील पार्सी के पार्थना पत्र पर

पेशी तारीख पर ली गई। चूंकि मूल वाद विद्वेष

हो चुका है। अतः आवेदन में भागों की कार्यवाही

का कोई प्रोचिन्त नहीं रहता है। अतः न्यायालय

द्वारा पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 15/06/17 करणीरान

का इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली के साथ सुनार दौरेर दाखिल पत्रों को

देवेंद्र प्रसाद  
सुनार  
(वकील)

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बीहड़